संख्या-5/2020/156/63-व0उ0-2020-9(एच)/2019

प्रेषक,

रमा रमण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 11 फरवरी, 2020

विषयः- उ0प्र0 हैण्डलूम,पावरलूम,सिल्क,टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-296/ह0क0-वस्त्र नीति-17/2019-20 दिनांक 05.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 के प्रस्तर 3.11 के अन्तगत स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1131/63-व0उ0-2018-155(एच0)/2017 दिनांक 25 जून 2019 के अनुसार निदेशालय द्वारा पात्र पायी गयी मे0 पी0के0 इण्डस्ट्रीज, डी0-36 औद्योगिक क्षेत्र रुमा कानपुर हेतु धनराशि रु0 5.741 लाख (रूपया पॉच लाख, चैहत्तर हजार, एक सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-5/2018/1263/63व0उ0-2018 दिनांक 07.08.2018 के निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रु0 5.741 लाख (रूपया पॉच लाख, चैहत्तर हजार, एक सौ मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-5/2020/156(1)/63-व0उ0-2020 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4

5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(रमा रमण)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।